अर्द्धशा0 परिपत्र संख्याःडीजी–12/2017

सुलखान सिंह,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1– तिलक मार्ग,लखनऊ
दिनांक : लखनऊ :मई 20 ,2017

विषयः– किमिनल अपील सं0–652/2012 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहनलाल व अन्य के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन आफ् इण्डिया बनाम मोहन लाल व अन्य अपील सं0–652/2012 में दिनॉक 28–01–2016 को पारित अन्तरिम आदेश के कम में अनु सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–V–192/2017– सीएक्स–5 दिनॉकित 10–04–2017 के साथ प्राप्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय दिनॉक 28–01–2016 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्णय के कम में मादक पदार्थो के अधिग्रहण, भण्डारण, निस्तारण/विनिष्टीकरण तथा न्यायिक पर्यवेक्षण से संबंधित मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

1–<u>अधिग्रहण एवं नमूना एकत्रीकरण (seizure and sampling)</u>: अधिग्रहीत की गई (seized) स्वापक औषधियों एवं साईकोट्रोपिक पदार्थों के निराकरण हेतु बरामदगी एवं नमूना एकत्रीकरण के संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा–52(क) में दिये गये प्राविधानों का पालन करते हुये मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में अर्द्धशासकीय परिपत्र सं0 डीजी–22/15 दिनॉकित 07–04–2015 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे, उसी के अनुरूप कार्यवाही अपेक्षित है।

2–<u>अधिग्रहीत मादक पदार्थो का भण्डारण (storage of seized drugs)</u>: अधिग्रहीत की गयी एनडीपीएस एक्ट से संबंधित पदार्थो को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा–55 के साथ–साथ स्टैण्डिग आर्डर सं0–1/89 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये, जिसमें मादक पदार्थो को एक राजपत्रित अधिकारी के पर्यवेक्षण में safes and vaults with double locking system की सुरक्षित अभिरक्षा में रखना प्राविधानित है, जिससे अधिग्रहीत मादक पदार्थों के चोरी, क्षरण, एवं अदलाबदली होने (theft,pilferage or replacement of seized drugs) से बचा जा सके। भारत सरकार के स्टैण्डिंग आर्डर संख्याः01/89 के भाग–3 में अधिग्रहीत की गयी और परिदत्त की गयी वस्तुओं का पुलिस द्वारा प्राप्त किया जाना (police to take charge of articles seized and deliverd) तथा मादक पदार्थो को भण्डारगृह (गोदाम) में रखने से सम्बन्धित है। उक्त से सम्बन्धित स्थायी आदेश सं0–1/89 के भाग–3 के प्रस्तर सं0 3.2 से 3.9 तक निर्देश दिये गये है।

भण्डारण हेतु (safe and vaults) बाद्धयकारी है, जब्त किये गये मादक पदार्थ को चोरी, प्रतिस्थापन, या क्षरण से बचाने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में भण्डारण रहेगा जो पूरी सावधानी, एहतियातन एवं निकटता से पर्यवेक्षण रखेगा। निर्धारित भण्डारगृह ( vaults safe and double locking system) को अन्य मालों के साथ रखा जाना उचित नहीं है। अतः स्थायी आदेश सं0–1/89 के भाग–3 में अंकित नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण से संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए, उक्त प्रयोजन हेतु सामान्य माल खाना रजिस्टर से अलग एक विशेष रजिस्टर बनाया जाए, भण्डारण की व्यवस्था एवं अभिलेखों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता रहे।

मादक पदार्थो की बरामदगी की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक जनपद में या एक से अधिक जनपदों में, संयुक्त रूप से, सुरक्षित भण्डारण की समुचित व्यवस्था की जाये तथा इसकी व्यवस्था करने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 06 माह का समय निर्धारित किया गया है।

3–मादक पदार्थों का निस्तारण **(Disposal of drugs)**: वर्तमान में थाने के मालखानों या अन्य गोदामों में स्टोर किये गये अभिग्रहीत मादक पदार्थों का ड्रग डिस्पोजल कमेटी (DDC) द्वारा, उक्त निर्णय में, मादक पदार्थों के निस्तारण (Disposal of drugs) के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन करें। मादक पदार्थो के निस्तारण के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

**प्रथम**– वे मामले जिनमें परीक्षण, कार्यवाही, अपील व रिवीजन की कार्यवाही दिनॉक 29–05–1989 के पूर्व पूर्ण हो चुकी है, इनमें केन्द्र या राज्य की ड्रगडिस्पोजल कमेटी सभी अभिग्रहीत पदार्थो के स्टाक को बिना सत्यापन, बिना परीक्षण व बिना सैम्पलिंग के उक्त मालों का निस्तारण **(Disposal)** करायेगा तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से डिस्पोजल किये जाने वाले मामलों को चिन्हित करेगा।

**द्वितीय**– वे मामले जिनमें मई 1989 के बाद मादक पदार्थो का अभिग्रहण हुआ है और इनमें विचारण, अपील, रिवीजन की कार्यवाही अन्तिम रूप से पूरी हो चुकी है, तो ऐसे मालों को टेस्टिंग के लिए सैम्पल भेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संबंधित ड्रग डिस्पोजल कमेटी सभी स्वापक औषधियों व मनःप्रभावी पदार्थों, नियन्त्रिक पदार्थों अथवा वाहनों के सभी स्टाकों विभागाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में नष्ट किया जायेगा।

**तृतीय**– वे मामले जिनमें कार्यवाही, परीक्षण–न्यायालय, अपीलीय न्यायालय या मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे मामलों में भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनॉकित 16 जनवरी 2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियन्त्रिक पदार्थों अथवा वाहनों का निस्तारण किया जायेगा।

मादक पदार्थो के निस्तारण हेतु भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनॉकित 16 जनवरी 2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनॉक 28–01–2016 में मादक पदार्थो के अधिग्रहण, भण्डारण, निस्तारण/विनिष्टीकरण तथा न्यायिक पर्यवेक्षण से संबंधित निर्देशों के क्रम में अपेक्षित कार्यवाही हेतु आवश्यक बिन्दुओं/विशेष निर्देशों को संकलित कर परिपत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनॉक 28–01–2016 की प्रति (समस्त संलग्नकों सहित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भलीभॉति अध्ययन करें तथा निर्णय में अंकित निर्देशों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी, नारकोटिक्स, पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करते हुये उसकी एक प्रति इस मुख्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रकरण अति महत्व का है अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न हो।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/राजकीय रेलवे पुलिस अनु0, उ0प्र0(नाम से)

**प्रतिलिपि** :– श्री डी0एन0शर्मा, अपर सचिव एवं मु0स0अ0, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या–डी0ओ0नं0–एफएन–16011/7/2010–एनसी–1 दिनॉकित 07–02–2017 के सम्बन्ध में सूचनार्थ।

2– अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– अपर पुलिस महानिदेशक, प्रभारी, एण्टी नारकोटिक्स सेल अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5– पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6– जोनल डायरेक्टर, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, लखनऊ, बी–912, सेक्टर–ए सी0आई0डी0 कालोनी, महानगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

## क्रिमिनल अपील सं0–652/2012 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहनलाल व अन्य से सम्बन्धित प्रमुख बिन्दु

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन आफ् इण्डिया बनाम मोहन लाल व अन्य अपील सं0–652/2012 में दिनॉक 28–01–2016 को पारित अन्तरिम आदेश के कम में अनु सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–V–192/2017– सीएक्स–5 दिनॉकित 10–04–2017 के साथ प्राप्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय दिनॉक 28–01–2016 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्णय मादक पदार्थो के अधिग्रहण, भण्डारण, निस्तारण/विनिष्टीकरण तथा न्यायिक पर्यवेक्षण से संबंधित है। मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

1–**अधिग्रहण एवं नमूना एकत्रीकरण (seizure and sampling)**: अधिग्रहीत की गई (seized) स्वापक औषधियों एवं साईकोट्रोपिक पदार्थों के निराकरण हेतु बरामदगी एवं नमूना एकत्रीकरण के संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा–52(क) में दिये गये प्राविधानों का पालन करते हुये मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में अर्द्धशासकीय परिपत्र सं0–डीजी–22/15 दिनॉकित 07–04–2015 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसे पुनः अंकित किया जा रहा है।

स्वापक मालों को सील करने की प्रकियाः–

- प्रत्येक मादक पदार्थ को अच्छी तरह से वर्गीकृत कर, उसकी सही तौल व नमूना, जब्ती के स्थान पर लिया जायेगा।
- सभी पैकेटों/कन्टेनरों को कमवार नम्बर अंकित कर बण्डलों (लाटो) में नमूना लेने के लिए रखा जायेगा। बरामद स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ से नमूना जब्ती स्थल पर, दो नमूने गवाहों की उपस्थिति में जिस व्यक्ति के कब्जे से बरामद हुआ है, के समक्ष ही लिया जायेगा और इस तथ्य को मौके पर तैयार की गयी फर्द बरामदगी में पूरी तरह उल्लेख किया जायेगा।
- प्रत्येक नमूने की जो मात्रा रासायनिक परीक्षण हेतु ली जायेगी, वह सभी स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थों के प्रकरणों में 05 ग्राम से कम नहीं ली जायेगी, केवल अफीम, गॉजा और चरस (हशीश) के प्रकरणों को छोड़कर जहॉ यह मात्रा 24 ग्राम प्रत्येक बरामदगी में रासायनिक परीक्षण हेतु अपेक्षित होगी, दोनों नमूने की मात्रा समान होगी। सभी जब्त मादक पदार्थों के पैकेटों/कन्टेनरों से दो प्रतिनिधि नमूने लेने से पहले उसका भली प्रकार आपस में इस प्रकार मिश्रण किया जायेगा कि वह आपस में घुल–मिल जायें।

स्वापक मालों का सैम्पल (नमूना) लेने की प्रकियाः–

- (ए) अफीम–5 ग्राम। (बी) गांजा/चरस/हशीश–24 ग्राम।
- द्वितीयक नमूनें की मात्रा भी उपरोक्तानुसार ही होगी।
- जब्ती एक पैकेट/कन्टेनर में होने की दशा में, दो नमूने लिये जायेगे। साधारणतया, यह सलाह दी जाती है कि पैकेट/कन्टेनर एक से अधिक होने पर प्रत्येक पैकेट/कन्टेनर से दो नमूने लिये जाए।
- यद्यपि, जब्त किये गये पैकेट्स/कन्टेनर्स समान वजन के हो, पहचान चिन्ह समान हो और प्रत्येक की अन्तर्वस्तु की पहचान का परिणाम, नारकोटिक्स ड्रग्स डिटेक्शन किट से परीक्षण पर, समान रंग का हो, सभी की निर्णायक पहचान सभी प्रकार से एकमुश्त एक समान हो, तो पैकेटों/कन्टेनरों को सावधानीपूर्वक 10 पैकेटों/कन्टेनरों के एक ढ़ेर में रखा जायेगा। गॉज

व चरस होने पर यह 40 पेकेटों/कन्टेनरों के एक ढ़ेर में रखा जाएगा। इस प्रकार के प्रत्येक ढ़ेर से दो नमूने लिये जा सकते है।

- जहॉ इस प्रकार के ढेर बनाने के बाद चरस (हशीश) और गॉजा की स्थिति में, 20 पैकेट/केन्टेनर से कम तथा, अन्य प्रकार के मादक पदार्थों की स्थिति में 5 पैकेटों/कन्टेनरों से कम बच जाते है, तो इन्हें एक ढ़ेर में रखने की आवश्यकता नहीं है और अन्य नमूना निकालने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि इस प्रकार के ढ़ेर बनाने के बाद अन्य मादक पदार्थों के बचे हुए 5 या उससे अधिक तथा चरस (हशीश) और गॉजा की स्थिति में 20 या उससे अधिक पैकेट/कन्टेनर बचते है, तो इस प्रकार बचे हुए पैकेट/कन्टेनर से दो नमूने लिये जा सकते है।
- जब इस विशिष्ट समूह से दो नमूने लिये जाए, तब यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक नमूना समान मात्रा में उस ढ़ेर के सम्पूर्ण में से ही निकाला जाए।
- दोनों नमूने प्लास्टिक की थैली में रखकर उसे गर्म करके चिपका कर सुरक्षित रखा जाये। उस प्लास्टिक की थैली को कागज के लिफाफे में रखकर सही ढ़ग से सील्ड करना चाहिए। इस प्रकार के लिफाफे को मूल तथा द्वितीय नमूना चिन्हित किया जा सकता है। दोनों लिफाफों पर जिन पैकेटों/पैकेटों या कन्टेनरों/कन्टेनरों से नमूना लिया गया है, की कम संख्या अंकित की जायेगी। द्वितीय लिफाफे पर, जिसमें नमूना रखा गया है, पर भी उसके टेस्ट मेमो का संदर्भ अंकित किया जायेगा। मुहर पठनीय होनी चाहिए। उनरोक्त नमूने के लिफाफों को टेस्ट मेमो के साथ अन्य लिफाफे में डाल करके सील मुहर बन्द करना चाहिए तथा उसके ऊपर गोपनीय मादक पदार्थ नमूना/टेस्ट मेमो अंकित कर सम्बन्धित रासायनिक प्रयोगशाला को भेजना चाहिए।
- सभी राज्य प्रवर्तन शाखाओं द्वारा जब्त मादक पदार्थ के नमूने को परीक्षण हेतु संबंधित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक/उप निदेशक को भेजा जायेगा।

न्यायालय में आरोप पत्र/परिवाद के समय अपनायी जाने वाली प्रकिया:-

न्यायालय में एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित प्रकरणों में आरोप पत्र/परिवाद दाखिल करते समय सभी जब्त वस्तुऐं/पदार्थ के साथ मूल पंचनामा(सीजर रिपोर्ट) तथा विस्तृत अभिग्रहण सूची (इन्वेन्ट्री) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा अभिग्रहण सूची में वस्तु की पहचान तथा इससे सम्बन्धित समस्त विवरण अवश्य उल्लिखित हों उक्त दस्तावेजों के साथ ही बरामद पदार्थ की कैमिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट भी संलग्न की जानी आवश्यक है।

**2-अधिग्रहीत मादक पदार्थो का भण्डारण (storage of seized drugs):** अधिग्रहीत की गयी एनडीपीएस एक्ट से संबंधित पदार्थो को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा-55 के साथ-साथ स्टैण्डिग आर्डर सं0-1/89 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये, जिसमें मादक पदार्थो को एक राजपत्रित अधिकारी के पर्यवेक्षण में safes and vaults with double locking system की सुरक्षित अभिरक्षा में रखना प्रावधानित है, जिससे अधिग्रहीत मादक पदार्थों के चोरी, क्षरण, एवं अदलाबदली होने (theft,pilferage or replacement of seized drugs) से बचा जा सके। भारत सरकार के स्टैण्डिंग आर्डर संख्या:01/89 के भाग-3 में अधिग्रहीत की गयी और परिदत्त की गयी वस्तुओं का पुलिस द्वारा प्राप्त किया जाना (police to take charge of articles scized and deliverd) तथा मादक पदार्थो को भण्डारगृह (गोडाउन) में रखने से सम्बन्धित है। उक्त से सम्बन्धित स्थायी आदेश सं0-1/89 के भाग-3 के प्रस्तर सं0 3.2 से 3.9 तक निम्नवत् है :-

3.2 All drugs invariably be stored in safes and vaults provide with double locking system.Agencies of the Central and state Governments, may specifically, designate their godowns keeping in view their security angle, juxtaposition to court etc.

3.3 Such godowns, as a matter, of rule, shall be placed under the over-all supervision and charge of a Gazetted officer of the respective enforcement agency, who shall exercise utmost care, circumspection and personal supervision as far as possible. Each seizing officer shall deposit the drugs fully packed and seald in the godown within 48 hours of such seizure with a forwarding memo indicating NDPS crime no-as per crime and prosecution (C&P register) under the new law, name of the accused reference of test memo description of the drugs, total no.of packages/containers etc.

3.4 The seizing officer, ofter obtaining and acknowledgement for such deposit in the format (Annexure-1) shall hand acknowledged over such to the investigation officer of the case along with the case dossiers further proceedings.

3.5 The officer-in-charge of the godown, before accepting the deposit of drugs, shall ensure that the same are properly packed and sealed. He shall also arrange the packages/containers (case-wise and lot-wise) for quick retrieval etc.

3.6 The godown-in-charge is required to maintain a register where in entries of receipt should be made as per format at annexure-11.

3.7 It shall be incumbent upon the inspecting officers of the various departments mentioned at annexure 11 to make frequent visits to the godowns for ensuring adequate security and safety and for taking measures for timeky disposal of drugs. The inspecting officer should record their remarks/observation against Col. 15 of the Format at Annexure-11.

3.8 The heads of the respective enforcement agencies (both Central and State Governments) may prescribe such periodical reports and returns, as they may deem fit moniter the safe receipt, deposit, storage, accounting and disposal of seized drugs.

3.9 Since the early disposal of drugs assumes utmost consideration and importance, the enforcement agencies may obtain orders for pre-trial disposal of drugs and other articles (including conveyance,if any) by having recourse to the provisions of sub-section (2) of section 52A of the Act."

उपर्युक्त पैरा 3.2 से स्पष्ट है कि भण्डारण हेतु (safe and vaults) बाद्धयकारी है, जब्त किये गये मादक पदार्थ को चोरी, प्रतिस्थापन, या क्षरण से बचाने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में भण्डारण रहेगा जो पूरी सावधानी, एहतियातन एवं निकटता से पर्यवेक्षण रखेगा। निर्धारित भण्डारगृह ( vaults safe and double locking system) को अन्य मालों के साथ रखा जाना उचित नहीं है। अतः स्थायी आदेश सं0–1/89 के भाग–3 में अंकित नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण से संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए, उक्त प्रयोजन हेतु सामान्य माल खाना रजिस्टर से अलग एक विशेष रजिस्टर बनाया जाए, भण्डारण की व्यवस्था एवं अभिलेखों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता रहे।

मादक पदार्थो की बरामदगी की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक जनपद में या एक से अधिक जनपदों में, संयुक्त रूप से, सुरक्षित भण्डारण की समुचित व्यवस्था की जाये तथा इसकी व्यवस्था करने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 06 माह का समय निर्धारित किया गया है।

**3–मादक पदार्थों का निस्तारण (Disposal of drugs):** वर्तमान में थाने के मालखानों या अन्य गोदामों में स्टोर किये गये अभिग्रहीत मादक पदार्थों का ड्रग डिस्पोजल कमेटी (DDC) द्वारा, उक्त निर्णय में, मादक पदार्थों के निस्तारण (Disposal of drugs) के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन

करें। मादक पदार्थो के निस्तारण के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

**प्रथम**– वे मामले जिनमें परीक्षण, कार्यवाही, अपील व रिवीजन की कार्यवाही दिनॉक 29–05–1989 के पूर्व पूर्ण हो चुकी है, इनमें केन्द्र या राज्य की ड्रगडिस्पोजल कमेटी सभी अभिग्रहीत पदार्थो के स्टाक को बिना सत्यापन, बिना परीक्षण व बिना सैम्पलिंग के उक्त मालों का निस्तारण **(Disposal)** करायेगा तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से डिस्पोजल किये जाने वाले मामलों को चिन्हित करेगा।

**द्वितीय**– वे मामले जिनमें मई 1989 के बाद मादक पदार्थो का अभिग्रहण हुआ है और इनमें विचारण, अपील, रिवीजन की कार्यवाही अन्तिम रूप से पूरी हो चुकी है, तो ऐसे मालों को टेस्टिंग के लिए सैम्पल भेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संबंधित ड्रग डिस्पोजल कमेटी सभी स्वापक औषधियों व मनःप्रभावी पदार्थों, नियन्त्रिक पदार्थों अथवा वाहनों के सभी स्टाकों विभागाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में नष्ट किया जायेगा।

**तृतीय**– वे मामले जिनमें कार्यवाही, परीक्षण–न्यायालय, अपीलीय न्यायालय या मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे मामलों में भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनॉकित 16 जनवरी 2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियन्त्रिक पदार्थों अथवा वाहनों का निस्तारण किया जायेगा।

भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनॉकित 16 जनवरी 2015 में दिये गये प्राविधान इस प्रकार है:–

सभी स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों, नियन्त्रित और वाहनों का निस्तारण एनडीपीएस एक्ट की धारा 52(क) के अन्तर्गत किया जायेगा।

**अधिकारी जो निस्तारण की कार्रवाई शुरू करेगें (Officers who shall initiate action for disposal):–**

किसी थाने का प्रभारी कोई अधिकारी या एनडीपीएस एक्ट की धारा 53 के अधीन अधिकार प्राप्त कोई अधिकारी उक्त पदार्थों का निस्तारण कर सकता है।

**निस्तारण की प्रकिया (Manner of disposal):–**

जहॉ किसी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, नियत्रित पदार्थों अथवा वाहन को जब्त किया गया है और निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी या धारा–53 के अधीन अधिकार प्राप्त अधिकारी को भेजा गया है या इसे किसी ऐसे अधिकारी ने स्वयं जब्त किया है तो उक्त पदार्थो की सूची तैयार करेगा और जब्त किये गये पदार्थों की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर किसी मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा। मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन को अनुज्ञात करने के पश्चात् संबंधित अधिकारी, सत्यापित सूची, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिये गये फोटोग्राफ और नमूनों को मामले के प्राथमिक साक्ष्य के लिए संभालकर रखेगा तथा औषधि प्रेषणों के ब्योरो, ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष को व्ययन के संबंध में समिति द्वारा विनिष्चय के लिए प्रस्तुत करेगा और उक्त अधिकारी गोदाम के प्रभारी अधिकारी को जब्त की गयी औषधि सहित ब्योरों की एक प्रति भेजेगा।

**औषधि निस्तारण समिति (Drugs Disposal Committees):–**

- केन्द्रीय और राज्य औषधि विधि प्रवर्तन अधिकरण के प्रत्येक विभाग का विभागाध्यक्ष एक या अधिक औषधि व्ययन समितियों (DDC) का गठन करेगा, जिसमें प्रत्येक में 03 सदस्य होगे ऐसी प्रत्येक समिति का अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक के रैंक के अधिकारी, केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त, राजस्व आसूचना निदेशालय के संयुक्त निदेशक या समतुल्य रैंक से कम रैंक का नहीं होगा अथवा इनके समतुल्य रैंक का होगा और प्रत्येक ऐसी समिति प्रत्यक्ष रूप से विभागाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगी।

- ड्रग डिस्पोजल कमेटी पदार्थों के व्ययन के संबंध में बैठके करेगीं, जब्त पदार्थों के लम्बित निपटान का पुनर्विलोपन करेगीं, जब्त मदों के निस्तारण का आदेश देगी तथा पदार्थों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अन्वेषण अधिकारियों/पर्यवेक्षण अधिकारियों को सलाह देगी।

**जब्त मदों के निस्तारण के संबंध में DDC द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रकिया** (Procedure to be followed by the DDC With Rgard to disposal of seized items):-

गोदाम का प्रभारी अधिकारी उन सभी जब्त मदों की सूची तैयार करेगा जो धारा 52(क) के अधीन प्रमाणित कर दी गयी है और संबद्ध निस्तारण समिति के अध्यक्ष को उसे प्रस्तुत करेगा सन्दर्भित सूची की जॉच पड़ताल करने के पश्चात् ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्य इस आशय का एक आवश्यक प्रमाण पत्र पृष्ठॉकित करेगें और समिति तत्पश्चात् जब्त किये जाने की रिपोर्ट, रासायनिक विष्लेशण की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के सन्दर्भ में जब्त की गयी प्रत्येक मद का भार और अन्य वास्तविक परीक्षा और सत्यापन करेगी और प्रत्येक मामले में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी।

**जब्त की गई मदों के निस्तारण के लिए DDC की शक्तियॉ** (Power of DDC for disposal of seized items):-

ड्रग डिस्पोजल कमेटी नीचे सारणी में दर्शित मात्राओं या मूल्यों तक जब्त की गयी मदों के निस्तारण के लिए आदेश कर सकेगी।

सारणी

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| क0सं0 | औषधि का नाम | प्रतिखेप मात्रा |
| 1 | हेरोइन | 5 किलोग्राम |
| 2 | हशिश (चरस) | 100 किलोग्राम |
| 3 | हशिश तेल | 20 किलोग्राम |
| 4 | गॉजा | 1000 किलोग्राम |
| 5 | कोकेन | 2 किलोग्राम |
| 6 | मैंड्रैक्स | 3000 किलोग्राम |
| 7 | पोस्त तृण | 10 मीट्रिकटन तक |
| 8 | अन्य स्वापक औषधिया, मन:प्रभावी पदार्थ, नियन्त्रित पदार्थ अथवा वाहन | 20 लाख रूपये के मूल्य तक |

परन्तु यह कि यदि खेप सारणी एक में उपदर्शित मात्रा से बड़े या मूल्य से अधिक के है तो ड्रग डिस्पोजल कमेटी अपनी सिफारिशें विभागाध्यक्ष को भेजेगीं जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गठित किसी उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा उनके निस्तारण के लिए आदेश कर सकेगा।

औषधियों के निस्तारण की प्रकिया (Mode of disposal of drugs):-

- अफीम, मारफीन, कोडीन और थिबैन (Thebaine) का निस्तारण, कारखाना नियन्त्रक के अधीन कार्यरत सरकारी अफीम और अल्कलाइड संकर्म को अंतरित करके किया जायेगा। अफीम, मारफीन, कोडीन व थिबैन से भिन्न औषधियों की दशा में मुख्य कारखाना नियन्त्रक को निस्तारण के लिए तैयार जब्त मदों के ब्योरे उपलब्ध त्वरित संसूचना साधनों द्वारा सूचित किया जायेगा, मुख्य कारखाना नियन्त्रक संसूचना प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अन्दर उक्त पदार्थों की मात्रा यदि कोई हो जो उसके द्वारा एनडीपीएस रूल्स 1985 के नियम

67(ख) के अधीन नमूने के रूप में प्रदाय के लिए अपेक्षित हो, उपदर्शित करेगा उक्त पदार्थों की ऐसी मात्रा जो मुख्य कारखाना नियन्त्रक द्वारा अपेक्षित हो उसे अन्तरित की जायेगी और उक्त पदार्थों की शेष मात्रा का निस्तारण नियमानुसार किया जायेगा।

- स्वापक औषधियॉ, मनःप्रभावी पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ और वाहन जिनका कानूनी, चिकित्सीय अथवा औद्योगिक प्रयोग है का निस्तारण निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा।

(क)स्वापक औषधियॉ, मनःप्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ जो कि सूत्रण (फार्म्यूलेशन) के रूप में है तथा जिन पर औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार लेबल लगाया गया है, उनकी बिक्री, लेवल में उल्लिखित लाइसेंस प्राप्त निर्माता में संघटन (काम्पजिशन) और सूत्रण (फार्म्यूलेशन) की पुष्टि किए जाने के पश्चात् औषधि निस्तारण समिति द्वारा यथा निर्धारित संविदा अथवा बोली अथवा किसी अन्य तरीके से, ऐस व्यक्ति को की जाए जो औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) और इसके अन्तर्गत बनाए नियमों और आदेशों की अपेक्षाएं पूरी करता हो, बशर्ते कि ऐसी बिक्री के समय जब्त किए गए सूत्रण (फार्म्यूलेशन) के उपयोग की न्यूनतम 60 प्रतिशत अवधि शेष हो।

(ख) बिना समुचित लेवल की स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ तथा फार्म्यूलेशन के रूप में जब्त किए गए नियंत्रित पदार्थो को नष्ट कर दिया जाएगा।

(ग) थोक के जब्त किए गए स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ तथा नियंत्रित पदार्थों को जो औषधि तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) तथा स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत औषधि तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अन्तर्गत तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाली अपेक्षाओं को पूरा करने पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जब्त पदार्थों के चिकित्सीय उददेश्य हेतु उनके मानक रूप की संपुष्टि के पश्चात् किसी ऐसे व्यक्ति को संविदा अथवा नीलामी अथवा किसी ऐसे विधि से बेचे जा सकते है, जिन्हें औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(घ) ऐसे नियंत्रित पदार्थ जिनका विधि संबत औद्योगिक उपयोग है, को औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किए अनुसार किसी ऐस व्यक्ति को जो स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा आदेशों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो संविदा अथवा नीलामी अथवा अन्य किसी विधि के द्वारा बेचे जा सकते है।

(ड.) जब्त किए गए वाहनों को औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किए अनुसार संविदा अथवा नीलामी के माध्यम से बेचा जा सकता है।

- ऐसी स्वापक ओषधियों मनःप्रभावी पदार्थो तथा नियंत्रित पदार्थों जिनका कोई विधि संवत चिकित्सीय अथवा औद्योगिक उपयोग नहीं हो अथवा जब्त मदों की ऐसी मात्रा जो उपर्युक्त प्रयोग हेतु समुचित नहीं हो अथवा जिसे बेचा नहीं जा सकता हो, नष्ट कर दी जाएगी।
- उपर्युक्त के कम में विनिष्टीकरण की अपेक्षित कार्यवाही प्रदूषण बोर्ड के मानकों की पूर्ति करने वाले भस्मीकरण केन्द्र (Incineration centre) पर ही की जाये।

<u>विनिष्टीकरण के संबंध में विभागाध्यक्ष को सूचना (Intimation of head of department or destruction):-</u>

ड्रग डिस्पोजल कमेटी विभागाध्यक्ष को नष्टकरण के कार्यकम के संबंध में अग्रिम में कम से कम पन्द्रह दिन पहले सूचित करेगी ताकि ठीक समझे जाने पर वह स्वयं औचक निरीक्षण कर सके या अपने किसी अधिकारी को ऐसें औचक निरीक्षण करने लिए प्रतिनियुक्त कर सके

प्रत्येक नष्टकरण संक्रिया के पश्चात् औषधि व्ययन समिति विभागाध्यक्ष को नष्टकरण के ब्यौरे देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

नष्टकरण का प्रमाण पत्र (Certificate of destruction):-

सभी सुसंगत आंकड़े जैसे गोदाम, प्रविष्टि संख्यांक, अभिग्रहण की गई औषधियों की सकल और शुद्ध भार आदि अन्तर्विष्ट करते हुए नष्टकरण का एक प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में) तैयार किया जाएगा और उपबंध 3 वा रूपविधान के अनुसार औषधि निस्तारण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। मूल प्रति इस आशय की आवश्यक प्रविष्टियॉ करने के पश्चात् गोदाम रजिस्टर में चिपकाई जाएगी, दूसरी प्रति अभिग्रहण मामला फाइल में रखी जाएगी और तीसरी प्रति औषधि निस्तारण समिति द्वारा रखी जाएगी।

गोदामपंजी में बिक्री के विवरण की प्रविष्टि (Details of sale to be entered in godown register):-

जब भी स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ अथवा वाहन की संविदा अथवा नीलामी अथवा औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य विधि से बिक्री की जाती है तो गोदाम पंजी में ऐसी बिक्री के विवरण को दर्शाने वाली उपयुक्त प्रविष्टि की जाए।

स्वापक नियन्त्रण ब्यूरो को सूचित करना (Communication to NCB):-

स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों तथा वाहनों के निपटान का विवरण एक मासिक रिपोर्ट में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को सूचित किया जाएगा।

उपबंध–1

**अभिग्रहण किए गए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों तथा वाहनों की सूची [स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क(2) के अधीन]**

मामला संख्या.....

अभिग्रहण करने वाला अभिकरण.....

अभिग्रहण अधिकारी.....

अभिग्रहण की तारीख.....

अभिग्रहण का स्थान.....

अस सूची को तैयार करने वाले अधिकारी का नाम और.....

सारणी

| क0सं0 | स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ/ नियंत्रित पदार्थ/ वाहन | कवालिटी | परिणाम | पैकिंग का ढंग | चिह्नन और अंक | औषधि या पैकिंग की अन्य पहचान कराने वाली विशिष्टियॉ | उदभूत का देश | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |

अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क(3) के अधीन मजिस्ट्रट द्वारा प्रमाणन

उपरोक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 52क की उपधारा (2) के अधीन उपरोक्त सूची के सत्यापन के लिए आवेदन किया है और उस धारा की उपधारा (3) यह अपेक्षा करती है कि कोई मजिस्ट्रेट जिसको आवेदन किया गया है, यथाशीघ्र इस आवेदन को अनुज्ञात करे, मेर

यह समाधान हो गया है कि उपरोक्त सूची अभिग्रहण दस्तावेज और मेरे समक्ष प्रस्तुत मामले से संबंधित अभिग्रहीत सामान के प्रेषण के अनुसार है, उपरोक्त सूची की शुद्धता प्रमाणित की जाती है।

मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

<u>उपबन्ध–2</u>

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क (2) के अधीन अभिग्रहण किए गए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियंत्रित पदार्थ तथा वाहनों के निस्तारण के लिए आवेदन

*(थाने के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के अधीन कोई सशक्त अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ है, द्वारा किया जाने वाला आवेदन)*

सेवा में,

विद्वान मजिस्ट्रेट

.....

महोदय,

**विषयः– सूची फोटोग्राफ, और अभिग्रहण स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियंत्रित पदार्थ तथा वाहनों के नमूने की शुद्धता के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन।**

1. सभी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियंत्रित पदार्थ तथा वाहनों, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 52क की उपधारा (2) के अधीन चोरी के लिए भेद्यता के रूप में पहचान ~~किए गए है~~ और उनकी अधिसूचना सं0.....तारीख द्वारा उनका ~~प्रतिस्थापन~~ किया गया है।

2. धारा 52क (2) के अधीन अपेक्षा के अनुसार, मैं अभिग्रहण किए गए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ की संलग्न सूची प्रस्तुत करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि

(क) सूची की शुद्धता को प्रमाणित करें।

(ख) अपनी उपस्थिति में, सूची की औषधियों और पदार्थो के फोटो लेने की अनुज्ञा दें और यह प्रमाणित करें कि ऐसे फोटो सत्य है, और

(ग) आपकी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूनों को निकालने की अनुज्ञा दें और इस प्रकार निकाले गए नमूनों की सूची की शुद्धता प्रमाणित करें।

3. मैं आपसे स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52 क की उपधारा (3) के अधीन इस आवेदन को अनुज्ञात करने का निवेदन करता हूँ जिससे अभिग्रहण किए गए औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ तथा/अथवा वाहनों को धारा 52क (1) के अनुसार उसके पश्चात् धारा 52क (4) के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रमाण पत्र, फोटो, और नमूनों को प्रतिधारित करते हुए निस्तारित किए जा सके।

अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

तारीखः

<u>स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क(3) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र</u>

मैं स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धार 52क की उपधारा (3) के अधीन उपरोक्त आवेदन को अनुज्ञात करता हूँ और संलग्न सूची संलग्न फोटोग्राफों और मेरी उपस्थिति में लिए गए नमूनों की सूची की सत्यता को प्रमाणित करता हूँ।

मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

तारीखः

उपबंध–3

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वापक औषधि और/या मनःप्रभावी और नियंत्रित पदार्थ हमारी उपस्थिति में नष्ट किए गए।

1. मामला संख्याः
2. स्वापक औषधि/मनःप्रभावी पदार्थ/नियंत्रित पदार्थः
3. अभिग्रहण करने वाला अभिकरणः
4. अभिग्रहण अधिकारीः
5. अभिग्रहण की तारीखः
6. अभिग्रहण का स्थानः
7. गोदाम प्रविष्टि संख्याः
8. अभिग्रहण की गई औषधि का सकल भारः
9. नष्ट की गई स्वापक औषधि और/या मनःप्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ का शुद्ध भार (नमूना इत्यादि लेने के पश्चात्):

औषधि व्ययन समिति के अध्यक्ष/सदस्य के हस्ताक्षर नाम और पदनाम

आवश्यक सन्दर्भः–

1– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहन लाल व अन्य अपील सं0–652/2012 में दिनॉक 28–01–2016 को पारित अन्तरिम आदेश।

2– स्टैण्डिंग आर्डर संख्या–1/89

3– नोटिफिकेशन दिनॉकित 10–05–2007

4– नोटिफिकेशन दिनॉकित 16–01–2015

5– एन0डी0पी0एस0 एक्ट–1985